

प्रेषक,

डॉ० खालिद मिर्जा,
निदेशक, (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

प्राचार्या,
राजकीय महिला महाविद्यालय,
गर्दनीबाग/गुलजारबाग, पटना।

विषय :-

पटना, दिनांक/
वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय महिला महाविद्यालय गर्दनीबाग/गुलजारबाग,
पटना के स्थापना मद में आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष-0003-राजकीय महिला महाविद्यालय, विपत्र कोड संख्या-21-2202031030003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नांकित मदों में अंकित राशि रु० 10,40,12,386/- (दस करोड़ चालीस लाख बारह हजार तीन सौ छियासी रुपये) मात्र आपको निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्र० सं०	कोड संख्या/ मद	पूर्व में आवंटित राशि		योग (3+4)	आवंटित राशि		योग (6+7)	कुल आवंटित राशि
		रा०म०महा० गर्दनीबाग	रा०म०महा० गुलजारबाग		रा०म०महा० गर्दनीबाग	रा०म०महा० गुलजारबाग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-वेतन							
	0003.01.01-वेतन	-	-	-	20000000	19000000	39000000	39000000
	0003.01.03-जी०या०म०	-	-	-	25000000	24000000	49000000	49000000
	0003.01.04-म० कि० म०	-	-	-	7500000	6037000	13537000	13537000
	0003.01.05-परिवहन म०	-	-	-	588000	512000	1100000	1100000
	0003.01.06-चि० म०	-	-	-	151000	149000	300000	300000
	0003.01.07-अन्य भत्ता	-	-	-	45000	40000	85000	85000
	योग :-				5,32,84,000	4,97,38,000	10,30,22,000	10,30,22,000
2	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति							
	0003.06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-633 दिनांक-26.04.17 के आलोक में	-	-	-	92386	-	92386	92386
3	13-कार्यालयी व्यय							
	0003.13.01-कार्यालय व्यय	-	-	-	151000	149000	300000	300000
	0003.13.03-दूरभाष	-	-	-	26000	24000	50000	50000
	0003.13.04-विद्युत प्रभार	-	-	-	178000	172000	350000	350000
	0003.13.06-वर्दी/पोशाक	-	-	-	28000	20000	48000	48000
4	21-सामग्री और आपूर्ति							
	0003.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	-	-	75000	75000	150000	150000
	21-2202.03.103.0003	-	-	-	5,38,34,386	5,01,78,000	10,40,12,386	10,40,12,386

तत्काल आवंटित राशि 10,40,12,386/- (दस करोड़ चालीस लाख बारह हजार तीन सौ छियासी रुपये) मात्र।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 428 दिनांक-31.03.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
9. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
10. आवंटित राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन,


ह0/-

(डॉ० खालिद मिर्जा),
निदेशक (उच्च शिक्षा),

ज्ञापांक:- 16

पटना, दिनांक:- 15/5/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित


(डॉ० खालिद मिर्जा),
निदेशक (उच्च शिक्षा),
5/17